(Corrected up to the 13th July 1956)

The 31st July 1951.

No. 2C-1-5/50-A.—7309—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309, read with Article 233 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules regulating appointments to posts in, and the conditions of service of persons appointed to, the Bihar Superior Judicial Service—

(13 जुलाई, 1956 तक संशोधित)

31 जुलाई, 1951

सं० 2सी–1–5/50–ए०–7309–भारत–संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी वर्त्तमान नियमों और आदेशों का अवक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार उच्च–न्यायसेवा के पदों पर नियुक्तियों का, और उक्त सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्त्तों का, विनियमन करने के लिए निम्न नियमावली बनाते हैं :–

THE BIHAR SUPERIOR JUDICIAL SERVICE RULES

1. *Short title and commencement.*—

(1) These rules may be called the Bihar Superior Judicial Service Rules.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 21st October, 1946.

बिहार उच्च–न्यायसेवा नियमावली

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।–

(1) यह नियमावली बिहार उच्च–न्याय सेवा नियमावली कहलायेगी।

(2) यह 21 अक्टूबर, 1946 को लागू समझी जायेगी।

2. *Definitions.*– In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "cadre" means the cadre of the Bihar Superior Judicial Service;

(b) "direct recruit" means an officer appointed to the Service in accordance with clause (a) of rule 5;

(c) "promoted officer" means an officer appointed to the Service from the Bihar Civil Service (Judicial Branch) by promotion in accordance with clause (b) of rule 5; and

(d) "Service" means the Bihar Superior Judicial Service.

2 परिभाषाएँ।–जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में–

(क) "संवर्ग" से तात्पर्य है बिहार उच्च–न्यायसेवा का संवर्ग;

(ख) "सीधे भरती किए गए व्यक्ति" से तात्पर्य है नियम 5 के खंड (क) के अनुसार उक्त सेवा में नियुक्त पदाधिकारी;

(ग) "प्रोन्नत पदाधिकारी" से तात्पर्य है नियम 5 के खंड (ख) के अनुसार प्रोन्नति द्वारा बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) से उक्त सेवा में नियुक्त पदाधिकारी; और

(घ) "सेवा" से तात्पर्य है बिहार उच्च–न्यायसेवा।

3. (1) The strength of the Service and the number and character of the posts shall be as specified in the schedule to these rules.

(2) The State Government may, from time to time, after consultation with High Court amend the said schedule.

3. (1) सेवा की पदाधिकारी–संख्या और पदों की संख्या तथा प्रकार इस नियमावली की अनुसूची के अनुसार होंगे।

(2) राज्य सरकार, उच्च–न्यायालय से परामर्श के बाद, समय–समय पर, उक्त अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

1. Every post in the cadre of the Service shall be filled by a person—
   - (i) who is a member of the Indian Civil Judical Service and is permanently allotted to the Judiciary;
   - (ii) who was substantively appointed before the 21st October 1946, to a listed judical post in the cadre of the Indian Civil Service or would have been substantively appointed before that date to such a post but was not so appointed in consequence of directions issued by the Secretary of State for India in Council; or
   - (iii) who is appointed a member of the Bihar Superior Judicial Service under rule 5.

4. इस सेवा के संवर्ग में हर पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा—
   - (1) जो भारतीय असैनिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) का सदस्य है और जिसे स्थायी रूप से न्यायपालिका में रखा गया है;
   - (2) जो भारतीय असैनिक सेवा के संवर्ग में सूचीबद्ध (लिस्टेड) न्यायिक पद पर 21 अक्टूबर, 1946 के पहले मौलिक रूप से नियुक्त किया गया था या ऐसे पद पर उस तारीख के पहले मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता, किन्तु सपरिषद् भारत सचिव द्वारा जारी किए गए निदेशों के फलस्वरूप उस प्रकार नहीं नियुक्त किया गया; या
   - (3) जो नियम 5 के अधीन बिहार उच्च–न्यायसेवा का सदस्य नियुक्त किया गया हो।

5. Appointments to the Bihar Superior Judicial Service, which shall, in the first instance, ordinarily be to the post of Additional District and Sessions Judge, shall be made by the Governor in consultation with the High Court—
   - (a) by direct recruitment, from among persons qualified and recommended by the High Court for appointment under clause (2) of Article 233 of the Constitution; or
   - (b) by promotion, from among members of the Bihar Judicial Service.

5. बिहार उच्च–न्यायसेवा की नियुक्तियाँ, जो प्रथमतः साधारणतया अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर होंगी, उच्च–न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल निम्न रीति से करेंगे :–
   - (क) संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) के अधीन नियुक्ति के लिये योग्यता प्राप्त और उच्च–न्यायालय द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में सीधे भर्ती द्वारा; या
   - (ख) बिहार न्यायिक सेवा के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा।

6. Of the posts in the cadre of the Service, two-thirds shall be filled by promotion and one–third by direct recruitment;

   Provided that the State Government may in consultation with the High Court deviate from the said proportion in either direction.

6. इस सेवा के संवर्ग में के पदों में से दो–तिहाई पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और एक–तिहाई सीधी भरती द्वारा; परन्तु राज्य सरकार उच्च–न्यायालय के परामर्श से दोनों में से किसी विषय में उक्त अनुपात से विचलित हो सकेगी।

7. There shall be the following two time–scales of pay for the members of the Service–

   Lower time–scale - Rs. 800 - 50 - 1,500

   Higher time–scale - 800 - 50 - 1,000 - 60 - 1,300 - 50 - 1, 800:

   Provided that so long as members of the Service referred to in clauses (i) and (ii) of rule 4 are available, two posts in the schedule other than the post of Additional District Judge, shall be deemed to be selection grade posts, each carrying a pay of Rs. 3,000 a month.

7. इस सेवा के सदस्यों के लिये वेतन के निम्नलिखित दो कालमान होंगे–

निम्न–कालमान–800—50—1,500 रु०

उच्च–कालमान–800—50—1,000—60—1,300—50—1,800 रु० :

परन्तु जबतक नियम–4 के (1) और (2) खंडों में निर्दिष्ट सेवा के सदस्य प्राप्त हों, अपर जिला न्यायाधीश के पद से भिन्न, अनुसूची के दो पद प्रवर कोटि के पद समझे जायेंगे, जिनमें हरेक का वेतन 3,000 रु० प्रतिमाह होगा।

8. (a) A person appointed, either on substantive or officiating basis, to the post of an Additional District and Sessions Judge or Deputy Secretary to Government, Law Department, shall draw pay in the lower time scale and a person appointed, either on substantive or officiating basis, to any other post in the schedule shall draw pay in the higher time-scale :

Provided that a person, who would have drawn pay in the higher time-scale but for his appointment as Deputy Secretary to Government, Law Department, shall draw pay in the higher time-scale.

(b) A member of the Service holding the post of the Secretary to Government, Law Department, or the post of an Additional, Joint or Deputy Secretary to Government, Law Department, either on substantive or officiating basis, shall, in addition to his pay in the time-scale, draw special pay admissible to other Secretaries or, as the case may be, to Additional, Joint or Deputy Secretaries to Government.

NOTE—The provision of this rule has come into force with effect from 9th January 1953, vide notification no. I/C1-603/54.A.R.—760, dated the 18th July 1954.

8. (क) अपर जिला और सत्र न्यायाधीश या उप–सचिव, विधि विभाग के पद पर मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति निम्न कालमान में वेतन पाएगा और अनुसूची के किसी अन्य पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप से, नियुक्त व्यक्ति उच्च कालमान में वेतन पाएगा :

परन्तु जो व्यक्ति उच्च कालमान में वेतन पाता, यदि वह विधि विभाग का उप–सचिव नियुक्त न होता, उसे उच्च कालमान में वेतन मिलेगा।

(ख) इस सेवा का जो सदस्य मौलिक या स्थानापन्न रूप से विधि विभाग के सचिव का पद अथवा विधि विभाग के अपर, संयुक्त या उप–सचिव का पद धारण करता हो, वह कालमान में अपने वेतन के अतिरिक्त अन्य सचिवों अथवा, यथा–स्थिति, अपर, संयुक्त या उप–सचिवों के लिये अनुमान्य विशेष वेतन पाएगा।

टिप्पणी– इस नियम का उपबंध ता० 09 जनवरी, 1953 से लागू हुआ है, देखें अधिसूचना सं० I/सी 1–603/54ए० आर०–760, ता० 18 जुलाई, 1954।

9. Notwithstanding anything contained in these rules—

(i) any member of the Service referred to in clauses (i) and (ii) of rule 4 shall continue to draw pay on the senior time-scale of pay for the Indian Civil Service;

(ii) any member of the Service referred to in clauses (i) and (ii) of rule 4 shall be eligible for appointment to the selection grade posts in the Schedule and such appointment, either on substantive or officiating basis, shall be made by the State Government in consultation with the High Court:

(iii) (a) any member of the Service appointed before the 6th March 1943 to any post corresponding to the post of District and Sessions Judge or an Additional District and Sessions Judge in the cadre of the Indian Civil Service or to any other equivalent post shall draw pay in the senior time-scale of the Indian Civil Service up to and including the 5th March 1948, and

(b) any member of the Service appointed before the 6th March 1948 to any post corresponding to the post of an Additional District and Sessions Judge not included in the cadre of the Indian Civil Service shall draw pay at the rate of Rs. 1,200 a month up to and including the 5th March 1948.

9. इस नियमावली में किसी बात के रहते हुए भी–

(1) नियम 4 के (1) और (2) खंडों में निर्दिष्ट सेवा का कोई सदस्य भारतीय असैनिक सेवा के वेतन के वरीय कालमान में वेतन पाता रहेगा;

(2) नियम 4 के (1) और (2) खंडों में निर्दिष्ट सेवा का कोई सदस्य अनुसूची के प्रवर कोटि के पदों पर नियुक्ति का पात्र होगा और ऐसी नियुक्ति, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप से हो, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी;

(3) (क) इस सेवा का कोई सदस्य, जिसकी नियुक्ति 6 मार्च, 1948 के पहले भारतीय असैनिक सेवा के संवर्ग में जिला और सत्र न्यायाधीश या अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर, अनुसारी पद पर या किसी अन्य समकक्ष पद पर हुई हो, वह भारतीय असैनिक सेवा के वरीय कालमान में 5 मार्च 1948 तक वेतन पाएगा; और

(ख) इस सेवा का कोई सदस्य, जिसकी नियुक्ति 6 मार्च, 1948 के पहले अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के अनुसारी किसी ऐसे पद पर हुई हो, जो भारतीय असैनिक सेवा के संवर्ग में सम्मिलित न हो, वह 5 मार्च, 1948 तक 1,200 रु० प्रतिमास की दर से वेतन पाएगा।

10. The initial pay of a promoted officer shall be fixed in the following manner—

(i) The pay of an officer appointed before the 6th March, 1948 to any post referred to in clause (iii) (a) of rule 9, either on substantive or officiating basis shall be fixed with effect from the 6th March 1948 in the higher time-scale of pay at the stage which is equal to his pay substantive or officiating, before refixation and, in cases there be no such stage, at the stage next below, in which case the difference shall be paid to him as personal pay to be absorbed in the next increment.

(ii) The pay of an officer appointed to any post in the schedule other than the post of Additional District Judge on or after the 6th March 1948, either on substantive or officiating basis, shall be fixed in the higher time-scale at the stage next above that arrived at by adding to his substantive pay as member of the Bihar Judicial Service one increment of pay in the higher time-scale of pay for every three years of service in the Bihar Judicial Service but the amount so added shall not be less than Rs. 200 or more than Rs. 300.

(iii) The pay of an officer appointed before the 6th March 1948 to the post of an Additional District and Sessions Judge referred to in clause (iii) (b) of rule 9, either on substantive or officiating basis, shall be fixed with effect from the 6th March 1948 in the lower time-scale at the stage which is equal to his pay substantive or officiating, before refixation or in case there be no such stage, at the stage next below, in which case the difference shall be paid to him as personal pay to be absorbed in the next increment.

(iv) The pay of an officer appointed on or after the 6th March, 1948 to the post of an Additional District and Sessions Judge, either on substantive or officiating basis, shall be fixed in the lower time-scale at the stage next above that arrived at by adding to his substantive pay as member of the Bihar Judicial Service one increment of pay on the lower time-scale for every four years of service in the Bihar Civil

Service (Judicial Branch) but the amount so added shall not be less than Rs. 200 more than Rs. 300.*

10. प्रोन्नत पदाधिकारी का आरम्भिक वेतन निम्न रीति से नियत किया जायगा।—

(1) नियम 9 के खंड (3) (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर 6 मार्च, 1948 के पहले मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त पदाधिकारी का वेतन 6 मार्च, 1948 से वेतन के उच्च कालमान में ऐसे प्रक्रम पर नियत किया जायगा, जो पुनर्निर्धारण के पहले उसके मौलिक या स्थानापन्न वेतन के बराबर हो और यदि कोई ऐसा प्रक्रम न हो, तो ठीक निचले प्रक्रम पर, ऐसी दशा में दोनों का अन्तर उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा, जो अगली वेतन—वृद्धि में मिला दिया जाएगा।

(2) अपर जिला न्यायाधीश के पद से भिन्न, अनुसूची के किसी पद पर 6 मार्च, 1948 को या उसके बाद मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त पदाधिकारी का वेतन उच्च कालमान में ऐसे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, जो बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के सदस्य के रूप में उसे मिलने वाले मौलिक वेतन में बिहार असैनिक सेवा (न्याय—सेवा) में हर तीन वर्ष पर वेतन के उच्च कालमान में मिलनेवाली एक वेतन—वृद्धि जोड़ने पर प्राप्त राशि के ठीक ऊपर हो, किन्तु इस तरह जोड़ी गई रकम 200 रु० से कम या 300 रु० से अधिक न होगी।

(3) नियम 9 के खंड (3) (ख) में निर्दिष्ट अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर 6 मार्च, 1948 के पहले मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त पदाधिकारी का वेतन 6 मार्च, 1948 से निम्न कालमान में उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, जो पुनर्निर्धारण के पहले उसके मौलिक या स्थानापन्न वेतन के बराबर हो अथवा यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो ठीक निचले प्रक्रम पर, ऐसी दशा में दोनों का अन्तर उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा, जो अगली वेतन—वृद्धि में मिला दिया जाएगा।

(4) अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर 6 मार्च 1948 को या के बाद मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त पदाधिकारी का वेतन निम्न कालमान में ऐसे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, जो बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के सदस्य के रूप में उसे मिलनेवाले मौलिक वेतन में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के हर तीन वर्ष पर वेतन के निम्न कालमान में मिलनेवाली एक वेतन—वृद्धि जोड़ने पर प्राप्त राशि के ठीक ऊपर हो, किन्तु इस तरह जोड़ी गई रकम 200 रु० से कम या 300 रु० से अधिक न होगी।

11.(i) On any enhancement of his pay in the Bihar Judicial Service as a result of an increment on the ordinary time-scale of the Bihar Judicial Service, an officer officiating in the lower or the higher time-scale of the Superior Judicial Service, shall be entitled to have his pay in the lower or the higher time-scale of the Service, as the case may be, recalculated in accordance with the provisions of rule 10, on the basis of his enhanced pay in the Bihar Judicial Service as if he was appointed to officiate in the lower or the higher time-scale of the Service, as the case may be, with effect from the date of such enhancement.

(ii) If a Member of the Bihar Judicial Service, while officiating in the lower or the higher time-scale of the Superior Judicial Service is promoted substantively to a selection grade post in the Bihar Judicial Service his pay in the lower or the higher time-scale of the Service, as the case may be, shall be fixed in accordance with the provisions of rule 10, as if he was appointed to officiate in the lower or the higher time-scale of the Service, as the case may be, with effect from the date of such enhancement.

Note : The provision of this rule has come into force with effect from the 6th March, 1948 vide notification no. I/AI-601/55 (PT-III)AR-680, dated the 21st June, 1956.

* कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 16116 दिनांक 11 सितम्बर 1979।

11. (1) बिहार न्यायिक सेवा के साधारण कालमान में वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बिहार न्यायिक सेवा में अपना वेतन बढ़ जाने पर उच्च–न्याय सेवा के निम्न या उच्च कालमान में स्थानापन्न रूप से काम करनेवाला पदाधिकारी सेवा के, यथास्थिति, निम्न या उच्च कालमान में अपने वेतन की पुनः गणना, बिहार न्यायिक सेवा में अपने बढ़े हुए वेतन के आधार पर नियम 10 के उपबंधों के अनुसार कराने का हकदार होगा, मानो वह ऐसी बढ़ोत्तरी की तारीख से सेवा के, यथास्थिति, निम्न या उच्च कालमान में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(2) यदि बिहार न्यायिक सेवा का कोई सदस्य, उच्च–न्याय सेवा के निम्न या उच्च कालमान में स्थानापन्न रूप से काम करते हुए, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) में प्रवर कोटि के पद पर मौलिक रूप से प्रोन्नत किया जाय, तो सेवा के, यथास्थिति, निम्न या उच्च कालमान में उसका वेतन, नियम 10 के उपबंधों के अनुसार नियत किया जायगा, मानो वह ऐसी बढोत्तरी की तारीख से सेवा के, यथास्थिति, निम्न या उच्च कालमान में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

टिप्पणी–इस नियम का उपबंध तारीख 6 मार्च, 1948 से लागू हुआ है, देखें अधिसूचना सं० I/ए०1–601/55 (पीटी–III) ए० आर०–680 तारीख 21 जून 1956।

12. The initicial pay of a direct recruit shall be fixed in the lower or higher time-scale, as the case may be as the State Government may, in consultation with the High Court, determine, but the pay so fixed shall not be more than Rs. 1,180 and less than Rs. 900 :

Provided that—

(i) a direct recruit appointed before the 6th March 1948 to any post referred to in clause (iii) (a) of rule 9 either on substantive or officiating basis, shall draw pay with effect from the 6th March 1948, at the amount fixed in the manner laid down in clause (i) of rule 10; and

(ii) a direct recruit appointed before the 6th March 1948 to the post of an Additional District and Sessions Judge referred to in clause (iii) (b) of rule 9, shall draw pay with effect from the 6th March 1948 at the amount fixed in the manner laid down in clause (iii) of rule 10.

12. सीधे भरती किए गए व्यक्ति का आरंभिक वेतन यथास्थिति, निम्न या उच्च कालमान में नियत किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्धारित करे, किन्तु इस तरह नियत किया गया वेतन 1,180 रु० से अधिक और 900 रु० से कम न होगा :

परन्तु–

(1) नियम 9 के खंड (3) (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर 6 मार्च, 1948 के पहले मौलिक या स्थानापन्न रूप से सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति 6 मार्च, 1948 से नियम 10 के खंड (1) में विनिहित रीति से नियत रकम वेतन के रूप में पाएगा; और

(2) नियम 9 के खंड (3) (ख) में निर्दिष्ट अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर 6 मार्च, 1948 के पहले सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति 6 मार्च, 1948 से नियम 10 के खंड (3) में विनिहित रीति से नियत रकम वेतन के रूप में पाएगा।

13. The intial pay of an officer holding, either on substantive or officiating basis, the post of an Additional District and Sessions Judge in the cadre of the Service or outside the cadre or any other equivalent post, shall, on appointment to any post in the schedule other than the post of an Additional District and Sessions Judge, either on substantive or officiating basis, be fixed in the higher time-scale at the stage next above the pay, substantive or officiating, drawn by him before such appointment :

Provided that such initial pay in the case of a promoted officer shall not be less than the pay he would have drawn if he were appointed to any post in the higher time-scale under clause (ii) of rule 10.

NOTE : For the purpose of this proviso, service as Additional District and Sessions Judge or any equivalent post in the cadre or outside the cadre shall be treated as service in the Bihar Judicial Service.

13. इस सेवा के संवर्ग में या संवर्ग के बाहर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का पद या कोई अन्य समकक्ष पद मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करनेवाले पदाधिकारी का वेतन, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद से भिन्न अनुसूची के किसी पद पर मौलिक या स्थानापन्न रूप से नियुक्त होने पर उच्च कालमान में ऐसी नियुक्ति के पहले उसे मिलनेवाले मौलिक या स्थानापन्न वेतन के ठीक ऊपर के प्रक्रम पर नियत किया जाएगा :

परन्तु प्रोन्नत पदाधिकारी की दशा में ऐसा आरंभिक वेतन उस वेतन से कम न होगा जो वह पाता, यदि उसकी नियुक्ति नियम 10 के खंड (2) के अधीन किसी पद पर उच्च कालमान में होती।

टिप्पणी– इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में अथवा संवर्ग में या संवर्ग के बाहर किसी समकक्ष पद पर सेवा बिहार न्यायिक सेवा में सेवा समझी जाएगी।

14. If an officer drawing pay in an officiating capacity in the lower time-scale or the higher time-scale, as the case may be, goes on leave and returns to the same post or to a post of equal or higher responsibility he should on return from leave draw the same pay as he was drawing in the identical time-scale of pay just before he proceeded on leave or such higher pay as may be admissible.

14. यदि कोई पदाधिकारी, जो स्थानापन्न तौर पर, यथास्थिति, निम्न कालमान या उच्च कालमान में वेतन पाता हो, छुट्टी पर जाय और उसी पद पर अथवा बराबर या और बड़े उत्तरदायित्व वाले किसी पद पर लौटे, तो छुट्टी से लौटने पर उसे वही वेतन मिलेगा, जो वह छुट्टी पर जाने के ठीक पहले अभिन्न कालमान में पाता था या ऐसा उच्च वेतन जो अनुमान्य हो।

15. (1) (a) A member of the Service appointed under clause (a) of rule 5 shall be on probation for a period of one year and shall not be confirmed unless he is found to be suitable in every respect for appointment to the Service:

Provided that the period of probation may be extended by the State Government, in consultation with the High Court.

(b) When such a member is confirmed in the Service, the period spent on probation shall be counted towards leave, pension or increments in the relevant time-scale.

(2) Promoted officers appointed against substantive vacancies in the cadre shall forthwith be confirmed in the Service.

15\. (1) (क) नियम 5 के खंड (क) के अधीन नियुक्त इस सेवा का सदस्य एक वर्ष के लिए परीक्ष्यमाण रूप में रहेगा और तबतक सम्पुष्ट न होगा जबतक कि वह इस सेवा में नियुक्ति के लिए हरेक दृष्टि से उपयुक्त न पाया जाय:

परन्तु राज्य सरकार परीक्ष्यमाणता की अवधि उच्च न्यायालय के परामर्श से बढ़ा सकेगी।

(ख) यदि ऐसा सदस्य सम्पुष्ट कर दिया जाय तो परीक्ष्यमाणता में बिताई गई अवधि छुट्टी, पेन्शन या संगत कालमान में वृद्धियों के लिए गिनी जाएगी।

(2) संवर्ग की मौलिक रिक्तियों में नियुक्त प्रोन्नत पदाधिकारी सेवा में तुरन्त संपुष्ट हो जायेंगे।

16\. (a) Seniority *inter se* of direct recruits shall be determined in accordance with the date of their substantive appointments to the Service:

Provided that a direct recruit appointed to the post of an Additional District Judge shall be junior to a direct recruit appointed to any other post in the schedule.

(b) Seniority *inter se* of promoted officers shall also be determined in accordance with the dates of their substantive appointments to the Service.

(c) When more than one direct recruit is appointed at one time, the seniority *inter se* will be determined in accordance with the order given in the notification making their appointments.

(d) When more than one appointment is made by promotion at one time, the seniority *inter se* of the officers promoted shall be in accordance with their respective seniority in the Bihar Judicial Service.

(e) Seniority of direct recruit *vis-a-vis* promoted officer shall be determined with reference to the date from which they may have been allowed to officiate continuously in posts in the cadre of the Service or in posts outside the cadre on identical time-scale of pay and of equal status and responsibility or in posts of higher scale of pay and of higher responsibility in or outside the cadre :

Provided that when a direct recruit and a promoted officer are appointed on the same date, the promoted officer shall be senior to the direct recruit.

NOTE- A period of leave or the annual vacation of the Civil Courts will not be treated as an interruption for the purpose of this sub-rule.

16\. (क) सीधे भरती किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता सेवा में उनकी मौलिक नियुक्तियों की तारीखों के अनुसार निर्धारित होंगी:

परन्तु अपर जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति अनुसूची के किसी अन्य पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से कनीय होगा।

(ख) प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता भी सेवा में उनकी मौलिक नियुक्तियों की तारीखों के अनुसार निर्धारित होगी।

(ग) जब सीधे भरती किए गए एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में नियुक्त हों तो उनकी पारस्परिक वरीयता उनकी नियुक्तियों की अधिसूचना में दिए गए क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।

(घ) जब प्रोन्नति द्वारा एक समय में एक से अधिक नियुक्तियाँ हों तो प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता बिहार न्यायिक सेवा में उनकी अपनी–अपनी वरीयता के अनुसार होगी।

(ङ.) प्रोन्नत पदाधिकारी के सम्मुख सीधे भरती किए गए व्यक्ति की वरीयता उन तारीखों के अनुसार निर्धारित होगी, जिन तारीखों से उन्हें सेवा के संवर्ग में के ऐसे पदों पर या संवर्ग के बाहर ऐसे पदों पर, जिनके वेतन का कालमान अभिन्न हो और जिनकी स्थिति और उत्तरदायित्व बराबर हों अथवा संवर्ग के भीतर या बाहर ऊंचे वेतनमान, ऊंचे उत्तरदायित्व वाले पदों पर लगातार स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई हो:

परन्तु यदि सीधे भरती किए गए व्यक्ति और प्रोन्नत पदाधिकारी की नियुक्ति एक ही तारीख को हो, तो प्रोन्नत पदाधिकारी सीधे भरती किए गए व्यक्ति से वरीय होगा।

टिप्पणी– छुट्टी या व्यवहार (दीवानी) न्यायालयों के वार्षिक विश्रामावकाश की कालावधि इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ क्रम–भंग न मानी जाएगी।

THE SCHEDULE

(Vide RULE 3.)

Sanctioned strength of the Service.

(1)	District and Sessions Judges	14
(2)	Additional District and Sessions Judges	9
(3)	Registrar, High Court	1
(4)	Secretary to Government, Law Department	1
(5)	Additional, Joint or Deputy Secretary to Government, Law Department.	1
	Total	26

NOTE– The posts of the Registrar, High Court, Secretary to Government, Law Department, and Additional or Joint Secretary to Government, Law Department, shall be graded with posts of District and Sessions Judges and the post of Deputy Secretary to Government, Law Department, shall be graded with the post of an Additional District and Sessions Judge. An officer holding any of these posts in the Law Department may also be appointed by the State Government as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs or Additional Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs.

(2) Two out of the posts of District and Sessions Judge and posts graded with such posts shall carry the selection grade pay of Rs. 3,000 a month for officers referred to in the proviso to rule 7.

N.B.— This Schedule has come into force with effect from the 8th January 1953, vide notification no. I/C1-605/ 54 - AR-760 dated the 18th July 1954.

अनुसूची।

(नियम 3 देखें)

सेवा की मंजूर पदाधिकारी–संख्या।

(1)	जिला और सत्र न्यायाधीश	14
(2)	अपर जिला और सत्र न्यायाधीश	9
(3)	निबंधक, उच्च न्यायालय	1
(4)	सचिव, विधि विभाग	1
(5)	अपर, संयुक्त या उप–सचिव, विधि विभाग	1
	कुल	26

टिप्पणी– (1) निबंधक, उच्च न्यायालय, सचिव, विधि विभाग और अपर या संयुक्त सचिव, विधि विभाग के पद जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों की कोटि में रखे जाएँगे और उप–सचिव, विधि विभाग का पद अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद की कोटि में रखा जाएगा। विधि विभाग में इनमें से कोई पद धारण करनेवाले व्यक्ति को राज्य सरकार वैधिक अधीक्षक और परामर्शी या अपर वैधिक अधीक्षक और परामर्शी नियुक्त कर सकेगी।

(2) नियम 7 के परन्तुक में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के लिए जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों और ऐसे पदों की कोटि में रखे गए पदों में से दो पदों का 3,000 रु० प्रतिमाह प्रवर कोटि वेतन होगा।

टिप्पणी– यह अनुसूची 8 जनवरी 1953 से लागू हुई है– देखें अधिसूचना सं० आई/सी1–605/54–ए० आर०–760, तारीख 18 जुलाई 1954।